PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW, MATHURA

UNIT-5 **PAPER NAME – BANKRUPTCY LAW**

Q1. प्रान्तीय दिवाला अधिनियम के अन्तर्गत धारा 78 में कालबाधा के विषय में दिए गए प्रावधानों की विवेचना कीजिये।

मर्यादा (Limitation)—प्रान्तीय दिवाला अधिनियम की धारा 78 यह उपबन्धित करती 2012 (10)

(1) भारतीय मर्यादा अधिनियम, 1963 की धाराएँ 5 एवं 12 के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन अपीलों और प्रार्थना-पत्रों को प्रयुक्त होंगे तथा उक्त धारा 12 के प्रयोजन हेतु धारा 4 के अधीन निर्णय डिक्री होना समझा जायेगा।

(2) जहाँ इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णयन का आदेश अभिशून्य कर दिया गया है, किसी वाद या डिक्री के निष्पादन के हेतु प्रार्थना-पत्र के लिए, जो लाया या किया जा सकता था यदि इस अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णयन का आदेश न किया गया होता, निर्धारित मर्यादा की अवधि की संगणना करने में न्यायनिर्णयन के आदेश की तारीख से अभिशून्यन के आदेश की तारीख तक की अवधि पृथक् कर दी जायेगी।

परन्तु यह तब जबकि इस धारा में कोई चीज इस अधिनियम के अधीन साध्य, परन्तु अप्रमाणित, ऋण के सम्बन्ध में वाद या प्रार्थना पत्र को प्रयुक्त नहीं होगी।

Q2. एक दिवालिया व्यक्ति की क्या योग्यता अयोग्यता है ? समझाइये।

उत्तर—दिवालिया की निर्योग्यता (Disqualifications of insolvent)—प्रान्तीय दिवाला अधिनियम की धारा 73 दिवालिया की निर्योग्यताओं के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबन्ध करती है—

(1) जब कोई ऋणी इस अधिनियम के अधीन दिवालिया न्यायनिर्णीत या पुनः न्यायनिर्णीत किया जाता है तो वह इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित के लिए अयोग्य होगा—

(i) मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त होने या कार्य करने के लिए;

(ii) किसी स्थानीय प्राधिकारी के किसी पद पर चुने जाने के लिए, जहाँ कि उस पद पर नियुक्ति चुनाव द्वारा होती हो, या किसी ऐसे पद को धारण करने के लिए या उसको प्रयोग करने के लिए जिसके लिये कोई वेतन न मिलता हो; और

(iii) किसी स्थानीय प्राधिकारी के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए या बैठने के लिए या वोट देने के लिए।

(2) इस धारा के अधीन निर्योग्यताएँ, जिनके अधीन दिवालिया है, हटा ली जायेंगी और समाप्त हो जायेंगी, यदि

PGS NATIONAL COLLEGE OF LAW

(i) न्यायनिर्णयन का आदेश धारा 35 के अधीन अभिशून्य कर दिया जाता है; या (ii) वह न्यायालय से उन्मोचन का आदेश, चाहे पूर्ण या सशर्त प्रमाण सहित अभिप्राप्त कर लेता है कि उसकी शोधन अक्षमता उसकी ओर से किसी दुराचार के बिना दुर्भाग्य से उत्पन्न हुई थी।

(3) न्यायालय ऐसे प्रमाण-पत्र को अनुदत्त या मना कर सकता है, जैसा वह उचित समझती है, परन्तु अस्वीकृत का कोई भी आदेश अपील के अध्यधीन होगा।

PGS NATIONAL COLLGE OF LAW